कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रारं / आरटीई / सी / 18878 / आरटीई दिशा निर्देश / 2023–24 दिनांक–

जिला शिक्षा अधिकारी (मु)
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा
समस्त

विषयः– **राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण की तिथि के संबंध में ।**

प्रसंगः– **कार्यालय हाजा का पत्र क्रमांक शिविरा / प्रार / आरटीई / सी / 18878 / आरटीई दिशा–निर्देश / 2023–24 दिनांक 22.05.2024 ।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आरटीई दिशा–निर्देशों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024–25 में विद्यालयों में प्रवेश हेतु बालकों की आयु की गणना 31 जुलाई 2024 को आधार तिथि मानते हुए करने के निर्देश जारी किये गये थे। । उक्त तिथि में संशोधन करते हुए शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए विद्यालय में प्रवेश हेतु बालकों की आयु की गणना 01 अक्टुबर 2024 को आधार तिथि मानते हुए की जाती है। इस तिथि (01.10.2024) तक 06 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक राजकीय विद्यालयों में होने वाले समस्त प्रवेश तथा गैर राजकीय विद्यालयों में सशुल्क प्रवेश हेतु पात्र होगें।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार तिथि द्वारा आयु की गणना केवल नवप्रवेशी बालकों पर ही लागु होगी । पहले से ही बालवाटिका / बालवाडी / आंगनबाडी प्रि–प्राइमरी आदि कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टी.सी. के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी अर्थात पूर्व से अध्ययनरत बालको के कक्षा–1 में होने वाले प्रवेश हेतु उक्त बाध्यता नही रहेगी । साथ ही इस आदेश के जारी होने से पूर्व आवेदन के आधार पर महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आधार तिथी की गणना में One time की विशेष छूट रहेगी ।

इसकी पालना सुनिश्चित की जावें ।

(सीताराम जाट)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

01. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।
03. संस्था प्रधान, समस्त राजकीय / गैर राजकीय विद्यालय।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.07.05 15:47:12 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8717282